बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 276296 पटना, दिनांक:- 24/06/16

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0-115-01/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का पारदर्शी रूप से कार्यान्वयन हेतु कालबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में ।**

प्रसंग :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-J-11014/1/2014-RH दिनांक-13.04.16

महाशय,

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सबों के लिए आवास को दृष्टिपथ रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि में देश में 1 करोड़ आवास निर्माण के लक्ष्य के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त योजना का कार्यान्वयन हेतु लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 (SECC 2011) में आवास विहीन चिन्हित परिवारों की सूची से किया जाना है । निर्धारित मापदण्डों के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास का लाभ पाने वाले चिन्हित परिवारों की ग्राम पंचायतवार Filtered सूची भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध कराया गया है तथा सूची को डाउनलोड करने की प्रक्रिया भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के Annexture-2 में उल्लिखित है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूची से योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा से किया जाना है ।

प्रधान मंत्री द्वारा इस योजना का उद्घाटन अगस्त 2016 के मध्य में संभावित है । SECC का कार्य 2011 में किया गया है और इस सूची के आधार पर योजना का कार्यान्वयन 2016 में किया जाना है, अतएव इस अवधि में सूची के कतिपय परिवारों को इंदिरा आवास मिलने की संभावना हो सकती है, अतः सूची को ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित है । सूची से योग्य परिवारों का चयन कर अंतिम रूप से सूची तैयार करने के लिए निम्न कार्रवाई की जाए :-

(1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सूची आवास सॉफ्ट से डाउनलोड (30 जून 2016 तक) :-

(i) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए SECC के आधार पर चिन्हित लाभार्थियों की सूची भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध कराया गया है । ग्राम पंचायतवार सूची को भारत सरकार के संलग्न पत्र के Annexture-2 में निहित विधि के अनुसार डाउनलोड किया जायेगा ।

(ii) ग्राम पंचायतवार सूची से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य एवं अल्पसंख्यक परिवारों की पृथक-पृथक सूची बनायी जायेगी (वैसे परिवार जो अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जनजाति दोनों में आते हों उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा जायेगा) ।

(2) प्रखण्ड के अभिलेख से सूची का मिलान करना (05 जुलाई 2016 तक) :- डाउनलोड किये गये सूची में वर्णित परिवारों का मिलान प्रखण्ड के अभिलेख से किया जायेगा । सूचीबद्ध परिवार (सदस्य सहित) को पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है अथवा नहीं ? यदि लाभ दिया गया है तो उस परिवार का नाम पूर्व में आवंटित (जिसमें सहायता राशि प्रदान की गयी हो) इंदिरा आवास का संदर्भ का उल्लेख करते हुए सूची से नाम हटा दिया जायेगा ।

(3) ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सूची का भौतिक रूप से सत्यापन (10 जुलाई 2016 तक) :- उपरोक्त के अनुसार तैयार की गई सूची को ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक को दी जायेगी । ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सूची में वर्णित सभी परिवारों का भौतिक रूप से सत्यापन किया जायेगा कि सूचीबद्ध परिवार मानकों के आधार पर प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभ पाने की पात्रता रखते हैं ।

(4) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित सूची की जाँच (20 जुलाई 2016 तक) :- ग्रामीण आवास सहायक के भौतिक सत्यापन के पश्चात् प्रविष्ट सूचनाओं की जाँच ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा निश्चित रूप से किया जाना है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा रैण्डमली कम-से-कम 20 प्रतिशत लाभुकों का भौतिक सत्यापन स्वयं किया जायेगा तथा शेष का सत्यापन प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों से कराकर आश्वासत हो लेंगे ।

(5) सूची में लाभुकों के प्राथमिकता का निर्धारण (31 जुलाई 2016 तक) :- ग्रामीण आवास सहायकों से प्राप्त सत्यापित सूची की जाँचोपरान्त ग्राम पंचायतवार और कोटिवार निर्धारित सूची में से लाभार्थियों के चयन हेतु प्राथमिकता का निर्धारण निम्न प्रक्रियानुसार किया जायेगा :-

(क) आवास से वंचित परिवार :- कोटिवार सूची में सर्वप्रथम गृहविहीन परिवारों का स्थान होगा, तत्पश्चात 0/1/2 कमरे में वास करने वाले परिवारों को क्रमानुसार सम्मिलित किया जायेगा । इन परिवारों में से वैसे परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में स्वत: सम्मिलित किया गया है ।

(ख) सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित परिवार की वरीयता :- उपर्युक्त दोनों उप समूह अर्थात स्वत: सम्मिलित परिवार एवं अन्यथा में से पात्र परिवारों की वरीयता का निर्धारण निम्न निर्धारित मानकों के लिए बराबर अधिभार (weightage) के आधार पर किया जायेगा :-

I. वैसे परिवार जिसमें 16 वर्ष से 59 वर्ष तक के व्यस्क सदस्य न हो ।
II. महिला प्रधान वैसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से 59 वर्ष तक के व्यस्क पुरूष सदस्य न हो ।
III. वैसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यस्क साक्षर सदस्य न हो ।
IV. वैसे परिवार जिनका कोई एक सदस्य विकलांग हो एवं अन्य सक्षम गैर विकलांग व्यस्क सदस्य न हो ।
V. वैसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का अधिकांश स्रोत अकुशल मजदूरी हो ।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची में समानता की स्थिति होने पर प्राथमिकता सूची का निर्धारण निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा ।

i) सशस्त्र कार्रवाई में मारे गये सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएँ और निकट संबंधी परिवार ।
ii) कुष्ठ या कैंसर पीड़ित सदस्य एवं HIV (PLHIV) से संक्रमित वाले परिवार ।
iii) इकलौती बेटी वाले परिवार ।
iv) वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार ।
v) ट्रांसजेन्डर व्यक्ति ।

इस प्रकार प्राथमिकता निर्धारण के साथ तैयार सूची को ग्राम सभा से अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत को हस्तगत कराया जायेगा ।

(6) ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन (दिनांक 10 अगस्त 2016 तक) :- ग्राम पंचायतों को सूची उपलब्ध होने के पश्चात् ग्राम सभा के द्वारा यह सत्यापित किया जायेगा कि सूची में चयनित लाभुकों को निर्धारित योग्यता के आधार पर सम्मिलित किया गया है । यदि किसी अयोग्य परिवार को सूची से हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा द्वारा की जाती है तो हटाने का कारण ग्राम सभा की कार्यवाही में अंकित किया जायेगा ।

(7) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन (दिनांक 17 अगस्त 2016 तक) :- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सात दिनों तक प्रकाशित किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा साथ-हीं-साथ इसे आवास सॉफ्ट पर भी अपलोड किया जायेगा ।

(8) ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करना (31 अगस्त 2016 तक) :- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरूद्ध सूची से नाम हटाने अथवा प्राथमिकता में परिवर्तन से संबंधित शिकायत प्राप्त करने का 15 दिनों का अवसर होगा । इस सूची से संबंधित शिकायतें प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर RTPS काउंटर पर कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के माध्यम से लिया जायेगा । इस अवधि हेतु प्रखण्ड कार्यालय में इसकी व्यवस्था किये जाने का पूर्ण दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को होगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर इसे अपने स्तर से जाँच कराकर जिला स्तरीय अपीलीय समिति को निश्चित रूप से सौंप दी जोयगी ।

(9) जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन (31 जुलाई 2016 तक) :- जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय जिला स्तरीय अपीलीय समिति का गठन किया जायेगा:-

i) जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी - अध्यक्ष (अपर समहर्ता स्तर से अन्यून्य नहीं होंगे) ।
ii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत सरकारी पदाधिकारी - सदस्य (इंदिरा आवास योजना के जिला के नोडल पदाधिकारी) ।
iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति - सदस्य ।

(10) जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा आपत्ति का निष्पादन एवं प्राथमिकता सूची का प्रकाशन (30 सितम्बर 2016 तक) :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से शिकायतों की जाँचोपरान्त प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के गुण-दोष के आधार पर जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा 15 दिनों के अंदर समिति का निर्णय जिला पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा । उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात प्राथमिकता सूची को जिला स्तर से अंतिम रूप देते हुए सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित किया जायेगा । इस प्राथमिकता सूची को पंचायतवार प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वेबसाईट पर प्रविष्ट किया जायेगा एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाएगा ।

(11) वार्षिक चयन सूची को अंतिम रूप से तैयार करना :-

प्रथम चरण :

ग्राम पंचायत स्तर पर कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के लिए कोटिवार लक्ष्य की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए कोटिवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवास सॉफ्ट पर FREEZE कर दिया जायेगा । विभाग द्वारा यथा संभव लक्ष्य का 3% विकलांगों के लिए कर्णांकित किया जा सकेगा । राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के लिए लक्ष्य का निर्धारण राज्य स्तर पर तैयार की गयी प्राथमिकता सूची में उक्त कोटियों की आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा ।

द्वितीय चरण :

वार्षिक चयन सूची का निर्धारण - लाभार्थियों के कोटिवार लक्ष्य को संबंधित पंचायत के ग्राम सभा में रखा जायेगा । ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य से गृह विहीन परिवारों को अग्रिम प्राथमिकता में रखते हुए प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जायेगा । ग्राम सभा इस सूची में परिवर्तन इस स्थिति में कर सकती है कि कोई लक्ष्य प्राथमिकता सूची के निर्धारण के बाद लाया गया है । इसका कारण ग्राम सभा के प्रस्ताव में अंकित किया जायेगा ।

तृतीय चरण :

वार्षिक चयन सूची का प्रचार-प्रसार - ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कोटिवार चयन सूची को लोक सभा सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं पंचायत के सदस्यों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात इसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा । प्रदर्शित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर तक आपत्ति प्राप्त किया जायेगा । प्राप्त आपत्तियों की जाँच कर इसका निष्पादन कंडिका-8 में निहित प्रक्रिया के अनुसार करके अपीलीय प्राधिकार को प्रतिवेदन दिया जायेगा ।

चतुर्थ चरण :

आपत्तियों का निष्पादन - सभी प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन जिला स्तरीय अपीलीय समिति के द्वारा कंडिका-10 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

पाँचवा चरण :

वार्षिक चयन सूची का समेकन - इस प्रकार अंतिम रूप से जिला स्तर से अनुमोदित वार्षिक चयन सूची को आवास सॉफ्ट पर Registration कर उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी ।

(12) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सूची से हटाये गये परिवारों एवं सूची की प्राथमिकता में परिवर्तन की सूची तैयार करना :-

(क) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करायी गयी सूची में से हटाये गये परिवारों की सूची (हटाने के कारणों सहित) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा ।

(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के शुरूआत के वर्ष में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची में कोई भी नया नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं है फिर भी यदि कोई इस सूची के विरूद्ध आपत्ति देना चाहतें हैं तो सक्षम प्राधिकार (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के समक्ष ग्राम सभा तिथि के छः माह के अन्दर अपना आपत्ति आवेदन

दे सकते हैं । सक्षम प्राधिकार इन दावा आपत्तियों को विधिवत् जाँच कर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समयबद्ध रीति से अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजेगें एवं अपीलीय प्राधिकार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निर्णय लेते हुए जिला पदाधिकारी को सूचित करेगें ।

उपर्युक्त समयबद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूची तैयार कर ग्राम सभा से सूची का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सूची को अंतिम रूप दिया जाए तथा सूची को ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रकाशित कराया जाए ताकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए संसूचित लक्ष्य के आधार पर योजना का कार्यान्वयन ससमय कराया जा सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

23/6/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 276296 पटना, दिनांक 24/06/16

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/6/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 276296 पटना, दिनांक 24/06/16

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/6/2016

सरकार के सचिव